

## प्रेस नोट दि0-17.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

### थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा, जिन्दा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सेनहुआ पुल के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में दिनांक 16.05.2025 को थाना रानीगंज के उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह कां0 रुद्रांश चौबे, कां0 योगेन्द्र यादव, कां0 प्रदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत सेनहुआ पुल के पास से अभियुक्त धीरज सरोज पुत्र ब्रह्मदीन सरोज निवासी ग्राम कसेरुआ कुटिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त धीरज सरोज पुत्र ब्रह्मदीन सरोज के कब्जे से अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना रानीगंज पर मु0अ0सं0 137/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- धीरज सरोज पुत्र ब्रह्मदीन सरोज निवासी ग्राम कसेरुआ कुटिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

अवैध 01 तमंचा देशी .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 हरिमोहन राजपूत मय हमराह कां0 रुद्रांश चौबे, कां0 योगेन्द्र यादव, कां0 प्रदीप यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

### थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा गोवध अधि० व पशु क्रूरता निवारण अधि० से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त हीरो उर्फ शफीक पर मारपीट, गोवध अधिनियम व विस्फोटक अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट जैसे लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत नगरहन चौराह समसपुरदामू से किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ०नि० देवी दयाल कश्यम मय हमराह हे०का० अतुल त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय के मु०अ०सं० 338/24 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11(1)डी पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित 01 अभियुक्त हीरो उर्फ शफीक पुत्र नजर मोहम्मद निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत नगरहन चौराह समसपुरदामू से किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- हीरो उर्फ शफीक पुत्र नजर मोहम्मद निवासी ग्राम रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त हीरो उर्फ शफीक पुत्र नजर मोहम्मद नि० रामपुर कुर्मियान थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

1.मु०अ०सं० 355/2009 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

2.मु०अ०सं० 356/2009 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

3.मु०अ०सं० 282/2010 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

4.मु०अ०सं० 393/2010 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

5.मु०अ०सं० 65/2016 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि० अधि० थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

6.मु०अ०सं० 351/16 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

7.मु०अ०सं० 42/21 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

8.मु०अ०सं० 124/21 धारा 323/504/506 भा०द०वि० थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

9.मु०अ०सं० 87/2023 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

10.मु०अ०सं० 330/2023 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

11.मु०अ०सं० 193/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम- उ०नि० देवी दयाल कश्यम मय हमराह हे०का० अतुल त्रिपाठी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक-16.05.2025 को दोपहर में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मा0 न्यायालय परिसर में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 व कुछ अधिवक्ता के मध्य विवाद/ मारपीट पर कोर्ट के बाहर तथाकथित अधिवक्ता मो0 इमरान पुत्र महबूब निवासी कुल्हीपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ व 05-06 अन्य साथी अधिवक्ता द्वारा उ0नि0 से विवाद/ हाथापाई की गई थी। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 0212/2025 धारा 191(2), 132, 121(1), 221, 352, 351(2), 115(2), 109, 309(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 04 नामजद अभियुक्त व 02-3 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण बैस के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री जयचन्द्र भारती के नेतृत्व में उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का ० सूर्यशेखर का० सागर सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गुलजार पुत्र जुमई निवासी सरायबीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- गुलजार पुत्र जुमई निवासी सरायबीरभद्र थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का ० सूर्यशेखर का० सागर सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

अपहरण, पाक्सो एक्ट व धर्म परिवर्तन कराने के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत दिवैनी गाँव की तरफ से मऊआईमा जाने वालो रोड पर नाला पुलिया के पास से 02 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 14.05.2025 को वादिनी मुकदमा की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर पर धारा-137(2), 352 बीएनएस बनाम मो0 साबिर उर्फ मोनू आदि 04 नफर व 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू के नेतृत्व में उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री राजेश कुमार, म0उ0नि0 आरती कुमारी, हे0कां0 मारकण्डेय यादव, हे0कां0 हरिकेश कुमार, मं0कां0 चंचल द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग से संबंधित 04 वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता 1. मोनू उर्फ मो0 साबिर पुत्र मो0 सलीम उम्र करीब 22 वर्ष 2. मो0 सैफ पुत्र मो0 सलीम उम्र करीब 18 वर्ष 3. साबरीन पुत्री मो0 सलीम उम्र करीब 23 वर्ष 4. माजिदा बेगम पत्नी मो0 सलीम उम्र करीब 45 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम नौवापुर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रांतर्गत दिवैनी गाँव की तरफ से मऊआईमा जाने वालो रोड पर नाला पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 74, 61 बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/5(3) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का विवरण-

1. मोनू उर्फ मो0 साबिर पुत्र मो0 सलीम उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम नौवापुर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़
2. मो0 सैफ पुत्र मो0 सलीम उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम नौवापुर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़
3. साबरीन पुत्री मो0 सलीम उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम नौवापुर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़
4. माजिदा बेगम पत्नी मो0 सलीम उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम नौवापुर थाना देल्हूपुर प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
3. म0उ0नि0 आरती कुमारी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
4. हे0कां0 मार्कण्डेय यादव थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
5. हे0कां0 हरिकेश कुमार थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़
6. म0कां0 चंचल थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध/ अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही जारी-

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त को अवैध तमन्चा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त तरुण शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला पर मारपीट, लूट व विस्फोटक अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट व आर्म्स एक्ट जैसे लगभग डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत कुड़वारा मोड़ राहटीकर से किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 16.05.2025 को ग्राम शुक्लन का पुरवा रेहुलालगंज मे वादी मुकदमा के बाबा को मारपीट व गाली गलौज करते हुए तमन्चे से जान से मारने के प्रकरण में नामजद अभियुक्त तरुण शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला नि0ग्रा0 शुक्लन का पुरवा मजरे रेहुलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/24 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित/ वारण्टी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह कां0 सुरेन्द्र कुमार, कां0 गिरीश कुमार, कां0 भागीरथ द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर के मु0अ0सं0 72/24 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त तरुण शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला उम्र करीब 27 वर्ष नि0ग्रा0 शुक्लन का पुरवा मजरे रेहुलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कुड़वारा मोड़ राहटीकर के पास से किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा 315 बोर कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- तरुण शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला उम्र करीब 27 वर्ष नि0ग्रा0 शुक्लन का पुरवा मजरे रेहुलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

तरुण शुक्ला पुत्र राजेन्द्र शुक्ला उम्र करीब 27 वर्ष नि0ग्रा0 शुक्लन का पुरवा मजरे रेहुलालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास

- 01- मु0अ0सं0 62/17 धारा 394/411 भा0दं0वि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 02- मु0अ0सं0 639/17 धारा 395/397/412 भा0दं0वि0 थाना महनगर लखनऊ
- 03- मु0अ0सं0 005/18 धारा 395/397/412 भा0दं0वि0 थाना अलीगंज लखनऊ
- 04- मु0अ0सं0 0018/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ
- 05- मु0अ0सं0 257/18 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना अलीगंज लखनऊ
- 06- मु0अ0सं0 14/19 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 07- मु0अ0सं0 116/19 धारा 427/506 भा0दं0वि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 08- मु0अ0सं0 011/20 धारा 3(1) यूपी गुण्डा अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 09- मु0अ0सं0 96/20 धारा 387/323/504/506 भा0दं0वि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 10- मु0अ0सं0 66/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना डीह , रायबरेली
- 11- मु0अ0सं0 010/22 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

- 12- मु0अ0सं0 94/22 धारा 323/504/506/427 भा0दं0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)Va SC/ST Act थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 13- मु0अ0सं0 95/22 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 14- मु0अ0सं0 54/24 धारा 147/323/504/506/427/452 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 15- मु0अ0सं0 160/24 धारा 109/115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 16- मु0अ0सं0 64/25 धारा 191(2)/115(2)/352/ 351(3)/ 117(2) B.N.S. थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
- 17- मु0अ0सं0 72/24 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस व धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नन्दलाल यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
2. का0 सुरेन्द्र कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
3. का0 गिरीश कुमार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़
4. का0 भागीरथ थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

### थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह कां0 विनय यादव के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केस0न0 358/24 धारा 128 सीआरपीसी थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी राहुल शर्मा पुत्र शिवपूजन शर्मा निवासी ग्राम शिववोझ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात के एचपी पेट्रोल पम्प से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राहुल शर्मा पुत्र शिवपूजन शर्मा निवासी ग्राम शिववोझ थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अजय कुमार सिंह मय हमराह कां0 विनय यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।